जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 22/5/18 को पेश हो।

ह०
उपखण्ड अधिकारी
करौली

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार - 2018

22/5/18 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी लैण्ड होल्डर तहसीलदार करौली उपस्थित अप्रार्थी ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। उभय पक्ष को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। आराजी खसरा नं. 3761, रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा ग्राम भंवरपुरा पटवार हल्का सलेडी तहसील करौली जमाबन्दी सम्वत 2070-73 मे देवी सिंह पुत्र सोना जाति माली निवासी नादरदह तहसील करौली के नाम दर्ज है। इससे पूर्व उक्त आराजी सम्वत 2062-65 मे खाता नं. 62 मे रामफूल पुत्र पून्या माली साकिन देह के नाम दर्ज रही है जो नामा० संख्या 150 दिनांक 20-6-07 से बयनामा से रामफूल के स्थान पर देवी सिंह पुत्र सोना माली नादरदेह करौली के नाम दर्ज हुई है जिससे स्पष्ट है कि उक्त परिवर्तन बयनामा से नामा० दर्ज होने से हुआ है। जो लिपिकीय भूल की तारीफ मे नही आता है धारा 136 L.R.Act के तहत राजस्व रिकार्ड मे किसी तरह की हुई। लिपिकीय भूल को ही शुद्धीकरण किया जा सकता है। उक्त प्रकरण मे राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी के सम्बन्ध मे कोई लिपिकीय भूल से देवी सिंह पुत्र सोना राजस्व रिकार्ड मे अंकित नही हुआ है। बल्कि उक्त इन्द्राज बयनामा के आधार पर दर्ज नामा० संख्या 150 दिनांक 20-6-07 से इन्द्राज हुये है। जो प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत

जारी
365-66
30-4-18

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
Pramod बैन्च उपस्थित 29-5-18 (V. C. [illegible])	शुद्धि किये जाने योग्य नहीं है और प्रार्थना पत्र प्राप्ती खारिज किये जाने योग्य है। प्राप्ती वयनामा के संबंध में सक्षम न्यायालय में या पंजीयन कार्यालय में कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 136 LRAct प्राप्ती तत्वहीन एवं सारहीन होने से खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो [signature] 29/05/18. उपखण्ड अधिकारी [illegible]	